समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

राजस्व प्रकरण कमांक ..../2011–12

आवेदक/अपीलार्थी–:			नंद लाल कुशवाहा आत्मज स्व. श्री चन्दी लाल कुशवाहा उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी– 1115 कांचघर नई बस्ती जबलपुर
			विरूद्ध
प्रत्यर्थीगण	:	1.	श्री निवास पटेल आत्मज श्री छोटेलाल पटेल उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी– ग्राम बारहा पो. पिडरंई तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.
		2.	म.प्र.शासन

आवेदन पत्र वास्ते राजस्व पुनरीक्षण याचिका (नंद लाल कुशवाहा विरूद्ध श्रीनिवास पटेल व अन्य) को पुर्नस्थापित किये जाने बाबत

आवेदक निम्नानुसार निवेदन करता है :

1. यह कि, आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ राजस्व न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत्त खमरिया तहसील व जिला जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 132/अ–12/2011–12 आवेदक श्रीनिवास पटेल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संदर्भ में करवाई गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 29.12.2011 से व्यथित हो दिनांक 03.10.2012 को एक राजस्व पुनरीक्षण याचिका (नंद लाल कुशवाहा विरूद्ध श्रीनिवास पटेल व अन्य) प्रस्तुत की गई थी, जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक तर्क एवं ग्राहिता हेतु नियत थी।

2. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (संशोधित अधिनियम) माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक ....को नियत हुई थी। उपरोक्त सुनवाई दिनांक को आवेदक एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बिना मूल रिकार्ड बुलाये निरस्त कर दी गई।

3. यह कि, आवेदक जिला रीवा के अंतर्गत .... ग्राम का निवासी है। आवेदक के परिवार के अन्य सदस्य जिला रीवा अंतर्गत उपरोक्त ग्राम में

Resto - 400. [illegible]/14 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
28.12.10.	कैम्प जबलपुर आवेदक श्री [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] उपस्थित. अनावेदक [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]. उभयपक्ष द्वारा प्रकरण को निरंतर [illegible] [illegible] कोई रुचि नहीं है. प्रकरण [illegible] के अभाव में	श्रीनिवास पटेल
P/18	प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित किया जावे. अभिलेख वापिस किया जावे। [signature]	श्रीनिवास पटेल [signature] 28/12/010